शासनादेश संख्या– 690 /PUCL-196/2001/2003

प्रेषक,

सचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

1–सभागीय खाद्य नियत्रक
कुमायूँ/गढवाल सभाग।

2–समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

3–समस्त जिलापूर्ति अधिकारी
उत्तरांचल ।

4–सहायक आयुक्त(खाद्य)
कुमायूँ/गढवाल सभाग।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2003

विषय– माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या–196/2001 में योजनाओं को कियान्वयन के लिये संभागीय खाद्य नियत्रक को अधिकृत किये जाने विषयक।

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या–196/ 2001 विगत 2 वर्षो से विचाराधीन है। यह मुख्यत इस आधार पर दायर की गयी थी कि देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न भण्डारण होने के बावजूद क्षुधाजनित मृत्यु की घटनाये बहुतायत हो रही है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनाक– 3–9–2001, 7–9–2001, 28–11–01, 4–3–2002, 8–5–2002,29–10–2002, 8–5–2003 एव 26–8–2003 को विस्तृत आदेश पारित किये है। इन आदेशो के अनुपालन में उत्तरांचल शासन द्वारा नोडल विभाग (खाद्य विभाग) के माध्यम से दिनाक 30–10–2001,22–1–2002, 14–3–2002, 29–7–2002,8–8–2003 को प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये गये है।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन की स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के कियान्वयन की स्थिति का अनुश्रवण हेतु संभागीय खाद्य नियत्रक कुमायूँ/गढवाल को करेगे।

उपरोक्त दोनो अधिकारियो को एतदद्वारा नोडल अधिकारी नामित करते हुये आदेशित किया जाता है कि :–

1– गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों हेतु बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय अन्न योजना,अन्नपूर्णा योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना एव महिला किशोरी कल्याण योजना के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न का नियमित उठान सुनिश्चित करवायेगे।

2– भारतीय खाद्य निगम के गोदामो से अच्छे गुणवत्ता के खाद्यान्न के निर्गमन हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियो के माध्यम से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगे।

3– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन योजना मे पके हुये भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इस सम्बन्ध में संभागीय खाद्य नियंत्रक मध्यान्ह भोजन योजना के खाद्यान्न के समयान्तर्गत निर्गमन, परिवहन संग्रहण एवं वितरण सम्बन्धी एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगे।

4– खाद्यान्न पोषित सभी योजनाओ के सफल कियान्वयन की समीक्षा हेतु संभागीय खाद्य नियंत्रक गढवाल एवं कुमायूँ को अधिकृत किया जाता है कि वे किसी भी ब्लाक स्तर पर पके हुये भोजन वितरण की व्यवस्था, सम्पूर्ण रोजगार योजना की व्यवस्था, बी0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के वितरण की व्यवस्था, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत दिये जाने वाले बाल पौषाहार का आकस्मिक निरीक्षण कर सकते है।

5– खाद्य विभाग के अनुरूप खाद्यान्न परिवहन दर अन्य सभी विभागो में लागू करने हेतु एक कार्ययोजना तैयार करेगें।

6– राज्य मे गोदामो की एक दीर्घकालिक योजना तैयार करते हुये वर्तमान संग्रहण व्यवस्था का एक Flow chart प्रस्तुत करेगें, साथ ही खाद्यान्न के Buffer stock को संग्रहीत रखने हेतु नये गोदाम के प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेगें।

संभागीय खाद्य नियंत्रक उपरोक्त सभी योजनाओं की समीक्षा रिर्पोट सचिव, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति के माध्यम से मुख्य सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

भ व दी य,

विजेन्द्र पाल
सचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित
2– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– सचिव, शिक्षा विभाग ।
4– सचिव, समाज कल्याण।
5– निदेशक, आई0सी0डी0एस0
6– वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम ।
7– आयुक्त,खाद्य एव नागरिक आपूर्ति उत्तरांचल देहरादून।

आज्ञा से,
§ हेमलता ढौंडियाल §
अपर सचिव।